जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 232.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1963 को, जहां तक उसका सम्बंध सहायक जल विज्ञानी के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में सहायक जल विज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं,अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सहायक जल विज्ञानी पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक जल विज्ञानी	5* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिर्वतन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतनमान बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं । **टिप्पण 1 :** (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख

	(6)
	खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान/जल-विज्ञान में मास्टर डिग्री या सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य। जल विज्ञान में दो वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यथियों की दशा में कारणों के लेखाबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यथियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती : पद धारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक अवधि के लिये उत्पन्न हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रति-नियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी, अर्थात् :- (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं, या (ii) जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर मूल काडर या विभाग में उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है ।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —अध्यक्ष 2. सदस्य, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य 3. निदेशक (भूमिगत जल स्थापना)/उप-सचिव (भूमिगत जल) जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य	सीधे भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं.-21/1/2005-सी.जी.डब्ल्यू.बी.]
विनीत अब्राहम, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 18th September, 2012

G.S.R. 232.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Exploratory Tubewells Organisation, (Group A and Group B Services) Recruitment Rules, 1963, in so far as they relate to the post of Assistant Hydrologist except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Assistant Hydrologist in the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, namely :—

1. Short Title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Assistant Hydrologist Group 'B' Post Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said posts its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications. —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Hydrologist	5* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus Grade Pay Rs. 4800	Not applicable	Not exceeding 30 years. **Note:1** Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential Master's degree in Geology or Hydrology or degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent **Note 1** : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2** : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public	Not applicable	2 years

(7)
Service Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Two years experience in Hydrology.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/deputation or absorption to be made
(10)	(11)
Direct recruitment Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a period of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. a(i) holding analogous post on regular basis in the patent cadre/department; or (ii) with three years service in the grade render after appointment on a regular in the parent/ department.	Not applicable

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of : 1. Chairman, Central Ground Water Board —Chairman 2. Member, Central Ground Water Board —Member 3. Director (Ground Water Establishment)/ Deputy Secretary (Ground Water), Ministry of Water Resources —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[F. No. 21/1/2005-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.